

भारत सरकार के निर्देशानुसार निर्माता फर्मों का पंजीकरण सम्पूर्ण पंचवर्षीय योजनावधि तक किये जाने की प्रक्रिया अभिखचि की अभिव्यक्ति के आधार पर पूर्ण करते हुए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति के अनुमोदन से निम्नवत् प्रस्तावित है। निर्माता फर्मों एवं उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स की सूची एवं सम्पर्क सूत्र किसान पारदर्शी सेवा योजना के वेब पोर्टल www.upagriculture.com एवं विभागीय वेब पोर्टल www.uphorticulture.gov.in पर उपलब्ध होगी। कृषक किसी भी पंजीकृत निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से अपनी स्वेच्छानुसार कार्य कराने हेतु स्वतंत्र होंगे। निर्माता फर्मों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं.	निर्माता फर्म का नाम	दूरभाष संख्या/ई-मेल	कम्पोनेन्ट
1	मे0 श्री भण्डारी प्लास्टिक प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान।	0141-2230135/9672555543 bhandari.p.ltd@gmail.com	ड्रिप एवं सिप्रंकलर
2	मे0 प्रीमियर इरीगेशन एड्रीटेक प्रा.लि., कोलकता।	9873433099, 9412847999, Email-up@pial.in, jodhsingh4@gmail.com,	ड्रिप एवं सिप्रंकलर
3	मे0 तिरुपति स्ट्रक्चरल्स लि0, दिल्ली।	011-43041449/8750052440 siddhartha@tirupatipipes.com	ड्रिप एवं सिप्रंकलर
4	मे0 कैप्टन पॉली प्लास्ट लि0, राजकोट, गुजरात।	91-8797000567, 91-9873433807 ranchi@captainpolyplast.in, delhi@captainpolyplast.in	ड्रिप एवं सिप्रंकलर
5	मे0 राजकी इरीगेशन, चरखी दादरी, हरियाणा।	9415107452 maslucknow@gmail.com	पोर्टेबल सिप्रंकलर
6	मे0 एस.आर.एम. प्लास्टोकेम प्रा. लि., कोटा, राजस्थान।	0744-2390110/9571936470 srmpplastochem@gmail.com	ड्रिप एवं सिप्रंकलर
7	मे0 नेटाफिम इरीगेशन इण्डिया प्रा.लि., वड़ोदरा, गुजरात।	91 02667264601/02/03/04, 619300 Email-response@netafim-india.com	ड्रिप एवं सिप्रंकलर
8	मे0 नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि., हैदराबाद-तेलंगाना।	040-27150141/42 micustomercare@nagarjunagroup.com	ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट सिप्रंकलर
9	मे0 रिवुलिस इरीगेशन इण्डिया प्रा.लि., वड़ोदरा, गुजरात।	91-2662670000	ड्रिप एवं मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट सिप्रंकलर
10	मे0 स्वाती स्टोरवेल प्रा.लि., परवानू, हिमाचल प्रदेश।	01792-232570, 232863 chemiplastgroup@yahoo.com	ऑन लाइन ड्रिप एवं सिप्रंकलर
11	मे0 हार्वेल एग्यूआ इण्डिया प्रा. लि., नई दिल्ली।	91(11)46224444, 26413370 info@harvel.in, azud.india@azud.com	ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट सिप्रंकलर
12	मे0 दिनेश इरीगेशन प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान।	0141-2347180-81, 09413344750-51/09413344752, dineshirrigation@gmail.com	ड्रिप एवं सिप्रंकलर
13	मे0 भगवती प्लास्टिक एवं पाइप इण्डस्ट्रीज, जयपुर, राजस्थान।	0141-2587114, 9314607924, 9460221327, 9829326213, 9799414666 bppi.ambika@gmail.com	ऑन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट सिप्रंकलर
14	मे0 किसान इरीगेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., इन्दौर, म.प्र.।	0731-4718000/9425062142 ratnesh_kaurav@yahoo.com	ड्रिप एवं सिप्रंकलर
15	मे0 मोहित इण्डिया, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान।	01493-220744/09839125349 gaurav.4912@gmail.com	पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट सिप्रंकलर
16	मे0 पॉयनियर प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली।	011-40779900, ppil@vsnl.net, pioneer_accounts@yahoo.com	ऑन लाइन ड्रिप एवं सिप्रंकलर
17	मे0 जैन इरीगेशन सिस्टम्स लि., जलगांव, महाराष्ट्र।	91-257-2258011/2258022 jisl@jains.com	ड्रिप एवं सिप्रंकलर
18	मे0 मिराज पाइप्स एण्ड फिटिंग्स प्रा.लि., उदयपुर, राजस्थान।	8875786930 vivek.singh@mirajgroup.in	सिप्रंकलर
19	मे0 वाल्यूमिनस एनर्जी इण्डिया प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान।	9829296555 voluminousenergy@gmail.com	पोर्टेबल सिप्रंकलर

क्रम सं.	निर्माता फर्म का नाम	दूरभाष संख्या/ई-मेल	कम्पोनेन्ट
20	मे0 वेंकटेश इरीगेशन सिस्टम्स प्रा. लि., अजमेर, राजस्थान।	9450897112 singh22jhansi@gmail.com/ vanktesh@yahoo.com	ऑन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट सिप्रंकलर
21	मे0 अंकित इरीगेशन प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान।	0141-2200649/9829214438 ankitirrigationp@yahoo.com	पोर्टेबल सिप्रंकलर
22	मे0 फिनोलेक्स प्लासन इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., पुणे, महाराष्ट्र।	020-27518300 finolexplason@fpil.in	ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट सिप्रंकलर
23	मे0 राठी पॉलीप्लास्ट प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान।	01423-265437/265445(F)/9829011506 rathipolyplast@gmail.com	ऑन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट सिप्रंकलर
24	मे0 एमटेल इण्डिया लि., अहमदाबाद, गुजरात।	9415462431 avanishshkl@rediffmail.com	ड्रिप एवं सिप्रंकलर
25	मे0 श्री भगवती इरीगेशन, जयपुर, राजस्थान।	0141-4048580/9829054960 shreebhagwatir@gmail.com	सिप्रंकलर
26	मे0 निम्बस पाइप्स लि., जयपुर, राजस्थान।	91-141-4028496/2208891 admin@nimbuspipes.com/ gm@nimbuspipes.com	ड्रिप एवं सिप्रंकलर
27	मे0 भारत ड्रिप इरीगेशन एण्ड एग्रो, जयपुर, राजस्थान।	0141-2240975 bharatdripirrigation@gmail.com	ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट सिप्रंकलर
28	मे0 विशाखा इरीगेशन प्रा.लि., अहमदाबाद, गुजरात।	91-7961907373 prakashjani@vishakha.com, viplahd@vishakhairrigation.com	ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट सिप्रंकलर

11. कृषक द्वारा ड्रिप/सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली की स्थापना करने वाली फर्म का चयन -

- ड्रिप एवं सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली का लाभ प्राप्त करने हेतु चयनित लाभार्थी/कृषक को पंजीकृत निर्माता फर्मों अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स में से किसी भी फर्म को स्वेच्छा से चयनित कर कार्य कराने की स्वतंत्रता होगी।
- जनपदीय उद्यान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी को पंजीकृत फर्मों के घटकवार दर उपलब्ध हों और लाभार्थी कृषक को तकनीकी/व्यवहारिक जानकारी सुलभ हों ताकि लाभार्थी कृषक स्वतंत्रता के साथ स्वेच्छा से निर्माता फर्म का चयन कर सकें और उससे पद्धति स्थापना की कार्यवाही पूर्ण करा सकें।

12. वित्तीय सहायता का विवरण :

वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य की जा रही अनुदान पैटर्न के अनुसार योजनान्तर्गत निम्नानुसार वित्तीय सहायता अनुमन्य होगा :-

- समस्त जनपदों के लघु सीमान्त कृषकों के लिए 33:57:10 के अनुपात में तथा अन्य कृषकों को 27:53:20 के अनुपात में क्रमशः केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभार्थी अंश होगा। इस प्रकार लघु सीमान्त कृषकों को ड्रिप/सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली की लागत के सापेक्ष कुल 90 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा और अवशेष अंश सम्बन्धित कृषक द्वारा वहन किया जायेगा।
- ड्रिप सिंचाई पद्धति की इकाई लागत पौध से पौध की दूरी एवं जल श्रोत के अनुसार भिन्न हो सकता है किन्तु वित्तीय सहायता/अनुदान की गणना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत (Normative Cost) को ही आधार माना जायेगा।
- वित्तीय सहायता प्रति लाभार्थी 05 हे0 क्षेत्रफल तक सीमित होगी। जिन लाभार्थियों/कृषक/संस्थाओं ने माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ पहले प्राप्त कर लिया है, उन्हें उसी भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर 07 वर्ष के पश्चात ही पुनः योजना का लाभ अनुमन्य होगा।
- लाभार्थी का भू-स्वामित्व क्षेत्र ड्रिप/सिप्रंकलर प्रणाली के दायरे में होना चाहिए जो एक समीपस्थ क्षेत्र या अलग-अलग स्थानों में स्थित हो सकता है जिसके लिए वित्तीय सहायता अधिकतम 5 हे0 सीमा तक के लिए दी जायेगी।

13. लाभार्थी का चयन एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया :

कृषकों के पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत पारदर्शी किसान सेवा योजना के वेब पोर्टल पर ऑन लाइन पंजीकरण की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2016-17 से की गयी है जिसका लाभ प्रदेश के समस्त कृषकों को उपलब्ध है और प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर चयन की कार्यवाही जनपद स्तर पर की सुनिश्चित की जायेगी। कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के